

KOP  
22/03/14  
11:02 AM

# भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये


TEN  
RUPEES

.10



INDIA NON

NOTARIAL NOTARIAL



सदस्य अधिकारी / विवाह निवृत्ति अधिकारी महोदय वृत्तनकर 1133

विषय :- विष्णु बाल  
निवृत्ति नं० 0234 सरावली ग्राम तथा  
देवाच पुरी तालुका वृत्तनकर

## सत्यापन

मैं, निम्न उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र में मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसके कोई भाग मिथ्या नहीं है। इसमें से कोई भी ताल्लिक तथ्य नहीं छिपाया गया है; मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-  
(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या न्यायिक मामला भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या शकित मानला नहीं है।  
(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9 और 10 में उल्लिखित आसित या दायित्व से भिन्न कोई आसित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 21-3-2014 को सत्यापित किया।



सत्यापित  
देवेन्द्र सिंह साहू  
एडवोकेट/नोटरी (पंजि.)  
बलन्दशहर (उ.प्र.)

विष्णु बाल  
अभिसाक्षी

(माननीय भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 3/4/2012/SDR दिनांक 24-08-2012 के आधार पर संशोधित तथा माननीय भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/अनुदेश/2014/ईईपीएस/खण्ड-1 दिनांक 30-1-2014 द्वारा अंतिम संशोधित)

## प्रारूप 26

(नियम 4 क देखिये)



14, बुलन्दशहर ..... निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा ..... (सदन का नाम)

के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

एडवोकेट/नोटरी (उ०३०६)

बुलन्दशहर (उ०३०)

### भाग-क

मैं विजयपाल ..... \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. श्री बाबू सिंह ..... आयु 51 वर्ष,  
जो घ० न० 234 सराय लोघगान प्रम केलाशपुरा बुलन्दशहर (डाक का पूरा पता लिखें)  
का/की निवास हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी ..... (\*\*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया  
अभ्यर्थी / ~~\*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 065 विधानसभा क्षेत्र बुलन्दशहर ..... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में  
भाग सं० 178 ..... के क्रम सं० 83 ..... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे सम्पर्क टेलीफोन नं० 7895793824 ..... है/हैं, मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)  
नहीं ..... है। और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई है) नहीं ..... है/हैं।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :-

क्रम सं०	नाम	पैन नं०	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

विजयपाल

(i) निम्नलिखित मामला ( मामले ) मेरे विरूद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला ( मामले ) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

1/वेबप 4/1/11

सत्यापित  
देवेन्द्र सिंह माहुर  
एडवोकेट/नोटेरी (पन्चक)  
बनारस (उ.प्र.)

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी / है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे/मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

- टिप्पण 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- टिप्पण 2. जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, राशि, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम तथा शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
- टिप्पण 3. सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4. यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
- टिप्पण 5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	30,000-	20,000-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिमसे बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा से रकम	18,000-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	40,000-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण सडभा आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	दोरो लष्ठा स्पेल्डर 2007 म्क 26,000-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	500 gm चादी आभूषण 25,000-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य अस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सकल कुल मूल्य	114,000-	45,000-	शून्य	शून्य	शून्य

देवेन्द्र सिंह माहुर  
19 जय पाल

देवेन्द्र सिंह माहुर  
गडवोकेट/नोटरी (पब्लिक)  
गडवोकेट (उ.प्र.)



(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकास या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें।)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लिबित है का वर्णन करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7  
1/5/24/4105

सत्यापित  
देवेंद्र कुमार शोहर  
एडवोकेट (पब्लिक)  
बलरघूर (उ.प्र.)



(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

(क) स्वयं ..... पाइवट नौकरी

(ख) पति या पत्नी ..... गृहिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

कक्षा 8 वी पास राजकीय इंटर कॉलेज गुलशहर

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

**भाग-ख**

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण :-

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० विजयपाल
2.	डाक का पूरा पता	श्री स्व० श्री लक्ष्मी सिंह भ०-10 234 सराम लक्ष्मण प्रसन्न बैलाशपुरी गुलशहर (उ०प्र०)
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	14 गुलशहर उत्तर प्रदेश
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	राष्ट्रीय जनता पार्टी
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न ]	लागू नहीं
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से ओर दंडित किया गया है। [ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए ]	लागू नहीं

7.	का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू स्थापित	लागू नहीं
(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

18 जय पाल

देवेन्द्र सिंह मसहूर  
एडवोकेट/नोटरी (प्रबलित)  
बलशहर (उ०प्र०)

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में) :						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	114000-	45,000-	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	क्रय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क- स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख- विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9. दायित्व :						
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं :						
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : 8 वीं राजकौम इंटर कॉलेज गुलदशहर (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)					

## सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसमें कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि

9  
19/07/2019

देवेन्द्र सिंह बाहुन  
एडवोकेट/नोटरी (पब्लिक)  
गुलदशहर (उ.प्र.)

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ..... को सत्यापित किया।

21-3-2014

सत्यापित  
देवेन्द्र सिंह माहुर  
एडवोकेट/नोटरी (पब्लिक)  
बुलन्दशहर (उ.प्र.)

विश्व पाल  
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

सत्यापित

देवेन्द्र सिंह माहुर  
एडवोकेट/नोटरी (पब्लिक)  
बुलन्दशहर (उ.प्र.)